उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 433-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2013-20-मा0सं0-01/2005 दिनांक : 01 मार्च ~~फरवरी~~, 2013

## कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2012-20-मा0सं0-01/2005 दिनांक 08-06-2012 द्वारा चयन वर्ष 2003-04, वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-2006 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई थीं। मामले में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए चयन वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप सं0: 3103-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2012-20-मा0सं0-01/2005 दिनांक 25-07-2012 द्वारा अन्तिम रूप से घोषित की जा चुकी है।

2- चयन वर्ष 2005-06 की अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के विरूद्व सर्वश्री अर्जुन प्रसाद (200675), ज्ञानेन्द्र नाथ मिश्रा (200666), अनिल कुमार (200679), दिनेश कुमार विकल (200678), अनिल कुमार (200677), ओम प्रकाश भारती (200676), अनीसुल होदा (200669) तथा राघवेन्द्र सिंह (200667) ने अपने प्रत्यावेदनों में यह अभिकथित किया है कि निगम में आमेलित अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या 389-मा0सं0-03/उ0नि0लि0/2006 दिनॉक 16-02-2006 द्वारा घोषित हुई थी। प्रत्यावेदनकर्ताओं के अनुसार उक्त वरिष्ठता सूची त्रुटिपूर्ण थी। लेकिन इसी सूची के आधार पर वर्ष 2006 में अवर अभियन्ताओं (जिसमे प्रत्यावेदनकर्ता भी सम्मिलित थे) की सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की गयी थी। अतः अवर अभियन्ता पद की सही-सही वरिष्ठता सूची निकालकर सहायक अभियन्ता पद की वरिष्ठता सूची में नाम उसी कमानुसार रखे जायॅ।

3- उपरोक्त अभिकथनों/आपत्तियों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु उनका चयन अवर अभियन्ता की कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 16-02-2006 द्वारा घोषित अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर किया गया था। अब इस सोपान पर अवर अभियन्ता पद की उक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची को पुनः रचित कराने तथा तदोपरान्त सहायक अभियन्ता पद की वरिष्ठता सूची में नाम इस प्रकार से अवर अभियन्ता की पुनर्रचित ज्येष्ठता सूची के आधार पर व्यवस्थित करने का कोई युक्तियुक्त, पर्याप्त, उचित तथा वैध कारण उपलब्ध नहीं है। निष्कर्षतः प्रत्यावेदनकर्ताओं की प्रश्नगत आपत्तियॉ अवर अभियन्ता संवर्ग की ज्येष्ठता (न कि सहायक अभियन्ता पद की ज्येष्ठता) से सम्बन्धित है। इस प्रकार आपत्तियॉ प्रासंगिक न होने के कारण ग्राह्य नहीं पायी गयी हैं और तद्नुसार अस्वीकृत की जाती हैं।

आलोक
आलोक कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 433(I)-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :-

1- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/कारपोरेट स्ट्रेटजी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

4– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– सम्बन्धित अधिकारी/कट फाइल।

आज्ञा से,

1/3/13

(प्रकाश चन्द्र अस्थाना)

अनु सचिव